EVERGREEN SERVICES

(Company of Management Professionals Deals in All Kinds of Manpower and Security Services)
Regd. Office: Shop No. 1-9, Housing Board Marketing Complex, Argora, Ranchi-834002 (JH)
Contact No.: +91-6517961417, 8298353537 E-mail: evergreenservices999@gmail.com

Date: 26 . 11 . 2021

ES/Request Letter/393/2021-2022

सेवा में,

सभी अपर समाहर्त्ता महोदय,
झारखण्ड।

प्रसंगः– 1. **Our Letter No.** ES/Request Letter/321/2021-22, dated 01.10.2021
2. **Our Letter No.** ES/Revenue Letter /357/2020-21 dated 02.11.2021

विषयः– JAP-IT के Annexure-VII **की सूची से बाहर के कर्मियों (वाह्यस्त्रोतीय) का मासिक विपत्रों व वेतनादि के भुगतान के संबध में अनुरोध पत्र।**

महाशय,

विनम्रतापूर्वक उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि, भवदीय के अधीनस्थ जिला अतर्गत सभी कार्यालयो में कार्यरत वैसे कर्मी जो JAP-IT के Annexure-VII की सूची से बाहर के हैं यथा **अमीन, दैनिक कर्मी, चपरासी, झाडूकश, चालक, आदेशपाल, रात्रिप्रहरी, खानसामा, माली, जेनेटर ऑपरेटर, बिजली मिस्त्री आदि** की विस्तृत सूची सहित उनका MPR-(मासिक कार्यनिष्पादन व उपस्थिति विवरणी) हमें उपलब्ध करायी जाय।

आपके द्वारा प्रस्तुत MPR के आधार पर उन कर्मियों के मासिक भुगतान संबंधी विपत्र हमारी एजेंसी द्वारा प्रेषित की जायेगी। जब उन मासिक विपत्रों का भुगतान आपके द्वारा या उस संबंधित कार्यालय द्वारा हमें हो जायेगा, तब ही हम शीघ्रातिशीघ्र उन कर्मियों के वेतनादि राशि का भुगतान कर सकेंगे।

भवदीय से विशेष अनुरोध स्वरूप आग्रह है कि यथाशीघ्र उन कर्मियों के **सितंबर एवं अक्टूबर माह का MPR(मासिक कार्यनिष्पादन व उपस्थिति विवरणी)** हमें उपलब्ध कराने की कृपा किया जाय, जिसे हम शीघ्रता से उनके मासिक विपत्र आपको प्रेषित कर सकें। जिसे आपके द्वारा या संबंधित कार्यालय द्वारा हमारी एजेंसी को उक्त विपत्र राशि का भुगतान हो जाने के उपरांत हम उन कर्मियों का वेतन भुगतान ससमय करते रहेंगे।

महोदय, इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु आपकी महत्ती कृपा की परमापेक्षा है।

एतदर्थ हम भवदीय के सदा आभारी रहेंगे।

विश्वासभाजन

EVERGREEN SERVICES RANCHI

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सेवा में,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय,
साहेबगंज।

विषयः– वाह्यस्रोत के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर को नवचयनित एजेंसी मेसर्स ईभरग्रीन सर्विसेज के साथ समायोजन करते हुए मानदेय बढ़ाने के संबंध में।

प्रसंगः– राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची के पत्रांक–3678/रा0, दिनांक–28.10.2021 एवं पत्रांक–JAPIT/RC-TM-4/2021/1517, दिनांक–26.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–3023, दिनांक–31.08.2021 द्वारा मानव संसाधान आपूर्ति का आदेश दिनांक–01.09.2021 के प्रभाव से मेसर्स ईभरग्रीन सर्विसेज को दे दिया गया है जिसमें पूर्व से बाह्यस्रोत के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर को नवचयनित एजेंसी मेसर्स ईभरग्रीन सर्विसेज के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विगत माह का बकाया राशि सितम्बर एवं अक्टूबर 2021 तक का सभी कर्मियों का वेतन भुगतान अक्टूबर माह के अन्त कर करने का आदेश प्राप्त है। लेकिन नवचयनित एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित किये वगैर पूर्व के एजेंसी के माध्यम से वेतन भुगतान किया गया है जो कि पत्र के विहिन है।

अतः श्री मान् से विनम्र निवेदन है कि नवचयनित एजेंसी मेसर्स ईभरग्रीन सर्विसेज के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर को मर्ज करते हुए नवचयनित एजेंसी का जो नया वेतन निर्धारण किया गया है वो वेतन दिलाने की कृपा की जाय। जिससे कि हमसभी का आर्थिक संकट से निजात मिल सके। हम सभी विगत चार वर्षों से लगातार लगभग मात्र 8500.00 रुपये प्रतिमाह के दर पर कार्यरत हैं जिससे कि परिवार का भरण–पोषण करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

इस कार्य हेतु हमसभी श्रीमान् का सदा अभारी बना रहूँगा।

विश्वाशभाजन

<u>अन्य विभागों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर का नामः–</u>

1.	उपायुक्त कार्यालय–	प्रियंका कुमारी मो0 फहीमुद्दीन
2.	जिला नजारत शाखा–	गौतम बिहारी राय
3.	अनुमंडल कार्यालय, साहेबगंज–	रितेश कुमार गुप्ता धीरज शर्मा
4.	अंचल कार्यालय, साहेबगंज–	रजनीश आनन्द
5.	अंचल कार्यालय, मंडरो–	फरहा जरी
6.	अंचल कार्यालय, बोरियो–	सुशील चन्द्र दास
7.	अंचल कार्यालय, बरहेट–	हंसीलाल दत्ता
8.	अंचल कार्यालय, तालझारी–	अरविन्द कुमार ठाकुर
9.	अंचल कार्यालय, पतना–	कुन्ती कुमार एवं मनोज कुमार रमानी
10.	अंचल कार्यालय, राजमहल–	सनातन मंडल
11.	अंचल कार्यालय, उधवा–	अजीत कुमार मंडल
12.	अंचल कार्यालय, बरहड़वा–	शोले अकरम

अनुलग्नकः–यथोक्त।

ग्रामीण विकास विभाग: राज्य से प्रखंड तक आउटसोर्स पर रखें जायेंगे कर्मी

मेसर्स रेडर सिक्योरिटी सर्विस के साथ जल्द होगा एग्रीमेंट, पहले के कर्मी भी इसी के अधीन होंगे

रेडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रांची का चयन किया है. एक सप्ताह के अंदर इसके साथ एग्रीमेंट भी किया जायेगा. इस संबंध में विभागीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से भी मंजूरी मिल गयी है. जारी आदेश के अनुसार मेसर्स रेडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लि. रांची द्वारा ग्रामीण विकास विभाग रांची, अंतर्गत मुख्यालय सहित मनरेगा, जेएसएलपीएस, जेएसडब्लूएम, सर्ड के अतिरिक्त विभागीय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गठित पीएमयू के राज्य, जिला, प्रखंड स्तर के कार्यालयों में भी मानव संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा.

इसे भी पढ़ें: **थर्मोकॉल को बाय-बाय : बुर्ज खलीफा से लेकर मिट्टी के दो तल्ला घरौंदों से सजा है बाजार**

उक्त सभी कार्यालयों में पूर्व से बाह्य स्रोत पर नियमित, संविदा कर्मी को छोड़ कर अन्य एजेंसी से कार्यरत सभी कर्मी एग्रीमेंट के बाद मेसर्स रेडर के कर्मी समझे जायेंगे. कंपनी को एकरारनामा के अनुरूप सभी शर्तों का अनुपालन भी करना होगा. एजेंसी को आपूर्ति किये जानेवाले मैन पावर के बदले ग्रामीण विकास विभाग भुगतान करेगा. बता दें कि विभाग ने जैप आइटी से 14 सूचीबद्ध कंपनियों में से इस कंपनी का चयन किया गया है जो आउटसोर्स पर आवश्यकतानुसार मैन पावर उपलब्ध कराने का काम करता है. विभाग अब सीधे तौर संविदा पर नियुक्ति न करके इसी एजेंसी जरिये विभिन्न योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन की सेवा लेगा.

छुट्टी वाले दिन कोई भी सरकारी कर्मचारी ऑफिस आया तो होगी सख्त कार्रवाई

हर शनिवार, रविवार और गजेटेड छुट्टी वाले दिन ऑफिसों में रेड कर चेकिंग करेगी विजिलेंस

• सीएम को मिल रही थी शिकायतें, रिश्वत और कमीशन लेने के लिए कई कर्मचारियों ने तय कर रखा है छुट्टी वाला दिन

सुखबीर सिंह बाजवा | चंडीगढ़

पंजाब के किसी भी सरकारी विभाग में अब कोई कर्मचारी छुट्टी वाले दिन ऑफिस जाकर काम नहीं करेगा। इसके लिए चाहे उसके अफसर ने ही दबाव क्यों न बनाया हो। छुट्टी वाले दिन ऑफिस में काम करते पाए जाने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस ब्यूरो हर शनिवार, रविवार और अन्य गजेटेड छुट्टियों पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में रेड कर चेक करेगी कि कहीं कोई कर्मचारी ऑफिस में काम तो नहीं कर रहा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें बताया गया है कि कई अफसर और कर्मचारी छुट्टी वाले काम करने के बहाने जानबूझकर ऑफिस आते हैं और ऑफिस के विभिन्न कामों में धांधलियां करने के अलावा अलग-अलग कामों के लिए लोगों से रिश्वत और कमीशन भी उसी दिन लेते हैं। इन शिकायतों के बाद सीएम ने इस बारे में चेकिंग के लिए विजिलेंस ब्यूरो को जिम्मेदारी सौंपी है।

रिश्वत और कमीशन लेने के लिए कर्मचारी चुनते हैं छुट्टी का दिन

सीएम को मिली शिकायतों में बताया गया है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले बाबू और अफसर आम लोगों के काम अटकाकर रखते हैं और रिश्वत व कमीशन मिलने पर ही काम करते हैं। रिश्वत और कमीशन लेने के लिए अक्सर बाबू और अफसर छुट्टी का दिन तय करते हैं और छुट्टी वाले दिन काम के बहाने ऑफिस आकर रिश्वत और कमीशन की राशि वसूल करते हैं। उसी दिन उनके सामने कैश टेबल में मामला निपटाकर डिस्पोज कर दी जाती है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर इस बारे में विजिलेंस को चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

बहुत जरूरी काम होने पर सेक्रेटरी से लेनी होगी परमिशन...

अगर किसी विभाग में बहुत ही जरूरी काम करवाना है, जो छुट्टी वाले दिन के बजाय किसी अन्य दिन नहीं हो सकता, तो विभाग के प्रमुख को छुट्टी वाले दिन काम करने के लिए सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होगी। उसके लिए सेक्रेटरी को उस पूरे काम का ब्योरा देना होगा कि यह काम इतना जरूरी क्यों है और किसी वर्किंग डे पर क्यों पूरा नहीं किया जा सकता। छुट्टी वाले दिन के बजाय उस काम को किसी अन्य दिन क्यों नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी से मंजूरी मिलने के बाद ही वह काम ऑफिस आकर छुट्टी वाले दिन किया जा सकेगा।

ऊधम सिंह के शहीदी दिवस से ट्रायल बेस पर की रेड की शुरुआत...

शहीद ऊधम सिंह के शहीदी दिवस पर छुट्टी वाले दिन विजिलेंस ब्यूरो की ओर से ट्रायल बेस पर कई सरकारी विभागों के कार्यालयों में रेड की गई। इनमें तहसील, लोकल बॉडीज, हेल्थ विभाग और अन्य सरकारी ऑफिस शामिल हैं। इस दौरान कई कर्मचारियों को ऑफिस में काम करते पाया गया, जबकि उस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी थी। इस पर विजिलेंस ने उन कर्मचारियों से पूछताछ की कि वे छुट्टी वाले दिन ऑफिस क्यों आए और वे क्या काम कर रहे थे। उन सभी कर्मचारियों के नाम नोट कर उन्हें यह चेतावनी देकर वापस भेजा गया कि जो आगे से छुट्टी वाले दिन ऑफिस आकर काम करते पाए गए, उनकी जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओं को छुट्टी वाले दिन बुलाया तो कार्रवाई

अगर किसी विभाग के प्रमुख किसी बहुत ही जरूरी काम को छुट्टी वाले दिन करवाने के लिए सेक्रेटरी से परमिशन ले भी लेते हैं तो भी वे उस काम के लिए सिर्फ पुरुष कर्मचारियों को ही छुट्टी वाले दिन ऑफिस बुला सकेंगे। महिला कर्मचारियों को किसी भी सूरत में छुट्टी वाले दिन ऑफिस नहीं बुलाया जा सकता। अगर कोई महिला इस बारे में शिकायत करती है कि उसे छुट्टी वाले दिन ऑफिस बुलाया गया तो विभाग के प्रमुख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन विभागों पर रहेगी खास नजर...

हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, फूड एंड सप्लाई, वेयर हाउसिंग, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट विभाग, जिलों के डीसी ऑफिस, तहसील ऑफिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, पशुपालन डिपार्टमेंट के अलावा कुछ अन्य विभागों के बारे में सीएम को शिकायतें मिल रही थीं कि यहां छुट्टी वाले दिन भी कर्मचारी काम के बहाने ऑफिस आकर फाइलों में धांधलियां करते हैं। जिन लोगों से काम करवाने के बदले में रिश्वत और कमीशन लेना है, उनको भी उसी छुट्टी वाले दिन ही बुलाया जाता है।

#Pm

इन विभागों में छुट्टी वाले दिन किए जा सकते हैं काम

कुछ विभाग ऐसे हैं, जिनमें सेक्रेटरी से मंजूरी लेकर छुट्टी वाले दिन भी काम किया जा सकता है। इनमें पंजाब पुलिस, विजिलेंस ब्यूरो, एक्साइज एंड टैक्सेशन और अन्य विभाग शामिल हैं। इन विभागों में 24 घंटे काम होता है और डेडलाइन के लिए कर्मचारियों को कई बार छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आना पड़ता है।

पुलिस कर्मचारियों को 12 के बजाय मिलती है 13 महीने की तनख्वाह

राज्य में एक पुलिस विभाग ही ऐसा है, जिसमें कर्मचारियों को 12 महीने के बजाय 13 महीने की सैलरी दी जाती है। एक महीने की सैलरी के 12 हिस्से कर बाकी 12 महीनों की सैलरी में जोड़कर कर्मचारियों को दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सरकारी विभागों में ड्यूटी आम तौर पर 9 से 5 बजे तक होती है, वहीं पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 24 घंटे की होती है और उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कभी भी उनकी छुट्टी रद्द कर उन्हें काम पर बुलाया जा सकता है। राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही तत्कालीन सरकार ने पुलिस कर्मियों को एक महीने की सैलरी बंद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा था।

कर्मचारी संगठन फैसले से खुश...

कर्मचारी संगठन के महासचिव सुखचैन सिंह ने कहा कि सरकार का यह फैसला ठीक है, क्योंकि कई अफसर अपने कर्मचारियों को छुट्टी वाले दिन भी काम करने के लिए बुला लेते हैं। इस फैसले से अब जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, वहीं कर्मचारियों का शोषण भी नहीं होगा।

Royal Black Bull

उच्चस्तरीय समिति की बैठक में शामिल हुए 11 विभागों के सचिव

अनुबंधकर्मियों की सेवा शर्त तय करने से पहले विभागों से और स्पष्ट डाटा मांगने का फैसला

पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची

विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने संविदा और अनुबंधकर्मियों की सेवा शर्त तय करने से पहले विभागों से और स्पष्ट डाटा मांगने का निर्णय लिया है। समिति की तीन नवंबर को हुई बैठक में तय किया गया कि विभाग पहले पूरा डाटा उपलब्ध कराएं कि उनके यहां संविदा, अनुबंध, आउट सोर्स और दैनिक वेतन पर कितने कर्मी कहां-कहां और कब से कार्यरत हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में इस तरह के कितने कर्मी कार्यरत हैं। उस योजना की अवधि क्या है। पूरा डाटा उपलब्ध होने के बाद ही समिति सेवा शर्त निर्धारण पर विचार करेगी, तो बेहतर होगा। विकास आयुक्त केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति के सदस्यों, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, विधि सचिव के अलावा 11 अन्य विभागों के सचिव भी उपस्थित हुए।कार्मिक विभाग को निर्देश दिया गया कि डाटा मांगने के लिए नये सिरे से फॉर्मेट बनाएं और उसे भेजें। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी विभागों को एक फॉर्मेट भेज कर डाटा की मांग की गई थी।

मिस कॉल करें
0 804 59 360 61
और सम्पूर्ण जानकारी की लिंक SMS पर प्राप्त करें
HOME TUTOR
Online Video Lectures
स्टूडेंट्स के लिए नर्सरी से 12th तक
आसान फीस में पूरे साल का कोर्स
विजिट करें: www.hometutorvideolectures.com

से मिले रघुवर, कहा... गांव में अभिषेक की प्रतिमा लगेगी

भाजपा परिवार शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है।

ाले शहीद
ार को पूर्व
ांव पहुंचे।
ो व बहनोई
ंधाया और
ाद हुआ है,
ा सकता है।

मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने उनसे चोरेया मोड़ में शहीद के नाम से तोरणद्वार बनवाने, जिस स्कूल में अभिषेक की पढ़ाई हुई थी, उस स्कूल का नामकरण शहीद के नाम पर करने तथा गांव में उसकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी। साथ ही जर्जर हो चुके चोरेया रोड को बनवाने के लिए पहल करने की भी मांग की। रघुवर दास ने शहीद के परिजनों को अपनी ओर से तत्काल एक लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। साथ ही ग्रामसभा से निर्णय पारित कराने के बाद गांव में प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। ग्रामीणों ने उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा।

ANNEXURE VII : MONTHLY EMOLUMENT STRUCTURE

Provide post-wise detail monthly emolument structure with/ without EPF/ ESI, as applicable for various candidates

Sl. No	[illegible] of the Post	In hand monthly emolument	EPF		ESI		[illegible] cost be as per [illegible]
			Employee Contribution as per applicable rate	Employer Contribution as per applicable rate	Employee Contribution as per applicable rate	Employer Contribution as per applicable rate	
1	Data Entry Operator	15336.21	1622.55	1757.76	129.15	555.33	19400
2	Office Assistant	16489.73	1622.55	1757.76	136.87	593.09	20600
3	Electrician	16778.13	1622.55	1757.76	139.04	602.52	[illegible]
[illegible]	Accountant	17281.00	1800.00	1950.00	[illegible]	[illegible]	21800
5	Stenographer	17281.00	1800.00	1950.00	144.19	624.81	21800
6	Software Support Assistant	19950.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	23700
7	Technical Assistant (Network)	22550.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	26300
8	IT Assistant	21750.00	1800.00	1950.00	0.00	[illegible]	[illegible]
9	Jr. Software Developer/ Assistant Programmer (Open Source)	22350.00	1800.00	1950.00	0.00	[illegible]	[illegible]
10	Helpdesk Manager	22350.00	1800.00	1950.00	0.00	[illegible]	26100
11	Jr. Software Developer/ Assistant Programmer (.Net)	23250.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	27000
12	Jr. Software Developer/ Assistant Programmer (JAVA)	24850.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	28600
13	HR Executive	25450.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	29200
14	Assistant Software Trainer	24850.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	28600
15	Technical Writer	28750.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	32500
16	Content Writer	28750.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	32500
17	Accounts Officer	28750.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	32500
18	Software Trainer	30950.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	34700
19	Field Manager	34750.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	38500
20	HR Manager	35850.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	39600
21	Web Designer	37550.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	41300
22	Software Developer/ Programmer (.Net)	38050.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	41800
23	Hardware Engineer	38050.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	41800
24	Network Engineer	38050.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	41800
25	Quality Analyst cum Software Tester	40250.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	44000
26	Security Manager	40250.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	44000
27	Software Developer/ Programmer (Open Source)	41350.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	45100
28	System Administrator	41350.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	45100
29	Mobile App Developer	42450.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	46200
30	Database Developer	44650.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	48400
31	Business Analyst/ Domain Expert	44650.00	1800.00	1950.00	0.00	0.00	48400

& Service Settlement Ranchi

दैनिक भास्कर रांची 08-09-2021

झारखंड विधानसभा में प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश

निजी कंपनियों में 40 हजार तक सैलरी वाले पदों पर 75% स्थानीय नियुक्त होंगे

- प्रावधान का उल्लंघन करने पर 5 लाख तक जुर्माने की अनुशंसा
- सरकारी क्षेत्रों में आउट सोर्सिंग कंपनियों पर भी होगा लागू

पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची

झारखंड के स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने की पहल पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। प्रवर समिति ने राज्य की निजी कंपनियों में स्थानीय आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता देने की अनुशंसा की है। इससे संबंधित विधेयक पर मंगलवार को अपनी रिपोर्ट विधानसभा के मॉनसून सत्र में सदन पटल पर रखा। प्रवर समिति ने कहा है कि निजी कंपनियों में 40 हजार रुपए तक मासिक वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाए। यह सरकारी कंपनियों में काम करने वाली आउट सोर्सिंग कंपनियों पर भी लागू होगा।

निजी कंपनियों को इसे प्राथमिकता के आधार पर मानना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत पहली बार इसकी अनदेखी करने पर जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार यदि इस प्रावधान का उल्लंघन किया गया तो जुर्माना राशि पांच लाख रुपए तक लगाया जाएगा। अब प्रवर समिति की अनुशंसा पर विधानसभा को निर्णय लेना है। यदि इन अनुशंसाओं को मानते हुए विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस साल विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को बहाल करने संबंधी विधेयक लाया था। लेकिन पक्ष और विपक्ष के विधायक की ओर से संशोधन की मांग करने पर इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था।

प्रवर समिति ने ये अनुशंसाएं भी कीं

- निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नियुक्त करने में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाएगा।
- निजी कंपनियों को स्थानीय लोगों की नियुक्ति के दौरान अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आने वाले अभ्यर्थियों का भी ख्याल रखना है।
- विधेयक पास होने बाद बनने वाले नए कानून को जिला स्तर पर लागू कराने के लिए एक कमेटी करेगी। इसमें डीसी के साथ स्थानीय विधायक, श्रम अधीक्षक और जिला नियोजन पदाधिकारी भी शामिल होंगे। पहले कमेटी में सिर्फ डीसी को रखा गया था। यह कमेटी इन प्रावधानों की मॉनिटरिंग करेगी।

इसलिए प्रवर समिति को भेजा था बिल

सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने कुछ संशोधन के सुझाव दिए थे

इस साल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में श्रम विभाग की ओर से भेजे गए विधेयक को सदन में पेश किया गया था। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायकों ने इसमें संशोधनों की वकालत की थी। विधायक प्रदीप यादव ने कंपनी अधिनियम-1956 के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों में भी यह व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था। वहीं अमित मंडल ने कंपनी की प्रकृति अंकित करने का सुझाव दिया था, जबकि अमर बाउरी ने कहा था कि इस व्यवस्था को राइट टू एजुकेशन की तरह नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही करीब दो दर्जन सुझाव उस दौरान सरकार को दिए गए थे। इसके बाद इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था।

न्यूनतम मानदेय 24000 पर खुशी जाहिर की

फरमान से संविदा श्रमिकों की बल्ले-बल्ले

अमर उजाला ब्यूरो

अनपरा।

प्राइवेट, सरकारी, अर्धसरकारी कंपनी, संस्थान पर लागू

केंद्र सरकार के उस निर्णय का संविदा श्रमिकों ने स्वागत किया है जिसमें किसी भी प्राइवेट, सरकारी अर्धसरकारी कंपनी, संस्थान, होटल या किसी अन्य जगह काम करने वाले लोगों को वेतन 24 हजार प्रति माह से कम नहीं मिलेगा। यदि उन्हें इससे कम वेतन मिलता है तो इसकी शिकायत के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जिनसे शिकायत की जा सकती है।

आदिवासी बाहुल्य व दुरूह क्षेत्र वाले इस जनपद में संविदा श्रमिकों की तादाद काफी है। खनन क्षेत्र हो या फिर सरकारी व निजी परियोजनाएं, सभी स्थानों पर संविदा श्रमिकों से काम चलाया जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि इन संविदा श्रमिकों से हाड़तोड़ मेहनत तो कराई जा रही है लेकिन वेतन के नाम पर पांच से 10 हजार रुपये ही दिया जा रहा है। इन संविदा श्रमिकों को समय से वेतन भी नहीं दिया जाता। इसे लेकर विभिन्न परियोजनाओं में संविदा श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन व घेराव भी किया गया है। इसी बीच श्रम मंत्रालय का एक आदेश संविदा श्रमिकों को राहत देने वाला आया है। किसी भी विभाग या निजी संस्थाओं में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को श्रम मंत्रालय ने तय कर दिया है। इसके तहत संविदा श्रमिकों को प्रतिमाह 24 हजार रुपये देने की बाध्यता तय की गई है। न्यूनतम वेतन न देने की शिकायत जिले के उपश्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त से की जा सकती है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–4

पत्रांक : सू0प्रौ0 / CSC-47/2016 – 1288 राँची, दिनांक : 04.11.2020

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड सरकार।

विषय : जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर संविदा / वाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ई–गवर्नेंस से संबंधित कार्यों के निष्पादन एवं डी.ई.जी.एस. सोसाईटी के सशक्तिकरण हेतु विभाग द्वारा विशेषज्ञ ई–मैनेजर्स (ई–बैंक मैनेजर, ई–मर्चेंट मैनेजर, ब्लॉक लेवल ई–मैनेजर एवं नेटवर्क मैनेजर) की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2017–18 में संविदा पर की गई थी। उक्त हेतु बजटीय उपबंध विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये थें। इन कर्मियों ने दो वर्षों तक अपनी सेवायें जिला व ब्लॉक स्तर पर दी हैं। वर्त्तमान में उक्त पदो का अवधि विस्तार लम्बित है। इन कर्मियों के अवधि विस्तार हेतु मूल्यांकन प्रतिवेदन भी लगभग सभी जिलों द्वारा प्रेषित किये गये हैं। परन्तु इनके अवधि विस्तार हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने से पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जिला व प्रखण्ड स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर्स एवं इनके द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा विभाग द्वारा की जाए।

अतः उक्त के आलोक में जिला तथा प्रखण्ड स्तर में स्वीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर्स (जिलास्तर एवं प्रखंडस्तर हेतु अलग–अलग प्रतिवेदन) की सूचना पत्र के साथ संलग्न फॉर्मेट में अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

03/11/20

सरकार के सचिव

25 DEC 2019

Cell : 9693148143
9431366975
Email : psshzb8258@gmail.com

Preeminence Security Services Pvt. Ltd.

NEW FOREST COLONY BESIDE VISION ENCLAVE APARTMENT,
HURHURU ROAD, HAZARIBAG - 825301 (JHARKHAND)
CIN NO.: U74920JH2012PTC000153

Ref. PSS/Secl.665/2019-20 Date 24/12/19

नजारत

वाह्यस्रोत कर्मियों को उपायुक्त महोदय, साहेबगंज के माध्यम से आपके कार्यालयधीनस्थ क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किये गये कर्मी की सूची जिन कर्मियों का EPF/ESIC में पंजीकरण नहीं हो पाया है, उन कर्मी का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड (दिन/माह/वर्ष के रूप में), PAN कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र) कि छायाप्रति 05 दिन के अन्दर हमारे कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे संबंधीत कर्मी का EPF/ESIC में पंजीकरण किया जा सके। अन्यथा संबंधित कर्मियों का भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा।

क्र0 सं0	नाम	पद	अभियुक्ति
1	सनातन राम	कम्प्यूटर ऑपरेटर	आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।
02	धर्मेन्द्र कुमार मंडल	अनुसेवक	आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।
03	रवि भगत	हॉउसकिपिंग	आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।
04	सुबोध रंजन दास	हॉउसकिपिंग	आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।
05	मसिह सोरेन	हॉउसकिपिंग	आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।
06	सुदर्शन मंडल	अमिल	आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।
07	प्रणव शंकर गोप	हॉउसकिपिंग	आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।
08	मंगली देवी	अनुसेवक	data didn't match
09	सानी मंडल	हॉउसकिपिंग	data didn't match

Authorised Signatory

Preeminence Security Services Pvt. Ltd
Hazaribag

26/12

ज्ञापांक 50 /नजा०, साहेबगंज, दिनांक 11 /02/2020

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त कर्मी को आधार कार्ड/अन्य कागजात उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

नाजीर

3/1/2020

जिला नजारत उपसमाहर्त्ता
साहेबगंज (झारखण्ड)